न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री हनुमानाराम, RAS)

राजस्व वाद संख्या 46 / 2023 — अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
केकू कंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी राजड़ाल तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. दीपसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी राजड़ाल तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. निजामखान पुत्र मीरखान 3. बक्साखान पुत्र मखलाखान 4. हनीफखान पुत्र मुरादखान 5. हुसैनखान पुत्र मुरादखान जाति मुसलमान, निवासी राजड़ाल तहसील शिव, जिला बाड़मेर 6. रामसिंह पुत्र सगतसिंह जाति राजपुरोहित, निवासी राजड़ाल तहसील शिव, जिला बाड़मेर 7. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– अधिवक्ता वादी – श्री बृजमोहन कुमावत।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 11.11.2024

वादी अधिवक्ता को विभाजन प्रस्ताव पर सुना एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी प्राथमिक डिक्री के अनुसार तैयार किया गया है तथा वादी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अनुसार वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः तहसीलदार शिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव रिपोर्ट अनुसार सहमति प्रदान करने पर विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल राजड़ाल के ग्राम राजड़ाल के खेत खसरा नम्बर 220 रकबा 8.0775 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है –

क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्ट. में)	किस्म	लगान	बरंग
1	केकुकंवर पत्नी भंवरसिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपुरोहित सा. देह खातेदार	राजड़ाल	220	3.3564	बा.सो.	–	लाल
2	दीपसिंह पुत्र भंवरसिंह 1352 / 45411 रामसिंह पुत्र सगतसिंह 15748 / 45411 जाति राजपुरोहित, निजामखान पुत्र मीरखान 2200 / 45411 बक्सा पुत्र मखला 16617 / 45411, हनीफखान 4747 / 45411, हुसैनखान 4747 / 45411 पि0 मुरादखान जाति मुसलमान सा. देह खातेदार	राजड़ाल	220	4.3811 0.1600	बा.सो.	–	हरा
3	जमाबंदी बदस्तुर संयुक्त खाता	राजड़ाल	220	0.1800	बा.सो.	–	काला

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्ताव अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव अनुसार पक्षकारों को बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित [illegible] जन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा [illegible] हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanumana Ram
Date: 2025.01.30 16:48:10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 11.11.2024 सरे इ[illegible]स सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner